<u>पी.टी.ई.टी. के प्रवेश हेतु मार्गदर्शन–</u>

1. प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह सर्वोत्तम को चुनने की एक प्रक्रिया है तथापि यहां कुछ रूपरेखा दी जा रही है।
2. पीटीईटी परीक्षा में एक प्रश्न–पत्र होगा जिसमें चार भाग होंगे–
   - मेन्टल एबिलिटी (Mental Ability)
   - टीचिंग एटीटयूड एण्ड एप्टीटयूड टेस्ट (Teaching Attitude & Aptitude Test)
   - जनरल अवेयरनेस (General Awareness) and
   - लेंग्वेज प्रोफिशियेन्सी (हिन्दी अथवा अंग्रेजी) {Language Proficiency (Hindi or English)}

   (i) प्रश्नपत्र में सभी प्रश्न बहु विकल्पी न्यूनतम चार उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। (मॉडल प्रश्नपत्र मे नमूना देखें।)

   (ii) प्रश्नपत्र अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में होगा सिवाय लेंग्वेज प्रोफिशियेन्सी भाग के, किन्तु दोनों भाषाओं में प्रश्न–पत्र या उत्तर–विकल्पों में अंतर होने की दशा में अंग्रेजी अनुवाद को अन्तिम माना जायेगा।

   (iii) प्रश्नपत्र की अवधि 3 घण्टे की होगी।

   (iv) प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, पूरा प्रश्नपत्र 600 अंको का होगा।

   (v) प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिये जायेंगे। टीचिंग एटीटयूड एण्ड एप्टीटयूड टेस्ट सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन 3 से 0 अंक की स्केल पर होगा अर्थात् प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 3, 2, 1 अथवा 0 अंक होगा।
3. सभी विषयों का प्रश्नपत्र "टेस्टबुकलेट" के रूप में होगा जिसमें क्रमषः 1, 2, 3,..........,50 तक क्रमांक में 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के न्यूनतम चार विकल्पी उत्तर (A) (B) (C) (D) आदि रूप में होंगे। **परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उसे दिये गये उत्तरपत्रक में प्रश्न के अनुरूप क्रमांक में बॉल पेन से पूरे गोले को गहरा काला करना है। निशान गहरा काला और गोला पूरा भरा होना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर के लिए केवल एक गोले को गहरा काला करना है जैसा नमूने में दर्शाया गया है। यदि आप उत्तर बदलना चाहते हैं तो पहले वाले गोले को जिसे आप काला कर चुके हैं पूर्णतया मिटा दीजिए और नया गोला काला कीजिए। दी हुई उपयुक्त जगह को ही काला कीजिए। उत्तरपत्रक पर इधर–उधर कहीं कोई निशान मत लगाइए। एक से अधिक गोले को काला करने अथवा उत्तर बदलने हेतु पहला काला किये हुए गोले को पूरा मिटाए बगैर अन्य गोले को भी काला कर देने से वह उत्तर गलत माना जाएगा। उत्तरपत्रक पर रफ कार्य नहीं करना है। टेस्ट बुकलेट में रफ कार्य के लिए स्थान दिया हुआ है, उस जगह का उपयोग कीजिए। मूल्यांकन केवल उत्तरपत्रक के आधार पर ही किया जायेगा।**
4. टेस्ट बुकलेट विभिन्न समुच्चयों (Combinations) में व्यवस्थित होगी। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रश्न–पुस्तिका का क्रमांक उत्तर–पत्रक पर सावधानी से सही अंकित करें और अंकों के समानान्तर गोलों को सावधानी से गहरा काला करें।
5. अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों की योग्यता सूची पीटीईटी नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर तैयार की जाएगी।
6. दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने पर मेरिट का आधार उनकी अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक होंगे और यदि अर्हता परीक्षा के अंक भी समान होंगे तो जन्मतिथि को आधार माना जायेगा एवं उम्र में वरिष्ठ अभ्यर्थी को उच्च वरियता में माना जायेगा।

7. पीटीईटी के उत्तर पत्रक की रिस्केनिंग करवाने हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा परिणाम घोषणा तारीख के 10 दिन की अवधि में रू.150/– (रूपये एक सौ पचास) शुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट, जो समन्वयक, पीटीईटी 2020 के नाम एवं बीकानेर में देय हो संलग्न कर सादे कागज पर अपना नाम, पिता का नाम, रोल नम्बर एवं पता लिखते हुए आवेदन कर सकते हैं। परिणाम हेतु पता लिखा व 5/– रूपये के डाक टिकट लगा लिफाफा जिसके ऊपरी भाग में आवश्यक रूप में रोल नम्बर लिखे हों भिजवाए। किसी भी कारणवश अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होनें वाले या अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, रोल नम्बर एवं पता लिखे बिना भेजे जाने वाले प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।

8. परीक्षा के उत्तर–पत्रक किसी भी सूरत में किसी भी अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे।

9. ऑन लाईन आवेदन–पत्र अत्यन्त सावधानी पूर्वक भरकर ऑन लाईन सबमिट करें एवं परीक्षा शुल्क के सफलता पूर्वक आनलाइन भुगतान या बैंक चालान से भुगतान कर उसका प्रिन्ट लें एवं परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड प्रति व आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति अपने पास सुरक्षित संभाल कर रख लें जिसे काऊसलिंग के उपरान्त आवन्टित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवष्यक है। आवेदन–पत्र में एक भी गलत या अनुचित इन्द्राज जानबूझ कर टेस्ट में नाजायज लाभ लेने की नीयत से किया हुआ माना जाएगा तथा ऐसा कृत्य इस टेस्ट हेतु आपकी अभ्यर्थिता को निरस्त करने का पर्याप्त आधार होगा।

10. यदि आप सामान्य श्रेणी से भिन्न यथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांग, विधवा/परित्यक्ता, टाडा/माडा/सहरिया श्रेणी क्षेत्र के निवासी, सैनिक/ सेवानिवृत सैनिक या उनके आश्रित हैं तो उस श्रेणी से सम्बन्धित नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दस्तावेज की सत्यापित प्रति काऊंसलिंग के उपरान्त आवन्टित महाविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करवाया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी विशेष ध्यान दें कि **अन्य राज्यों के निवासी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे।**

11. टेस्ट के प्रश्न–पत्र में 200 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। परीक्षा अवधि तीन घण्टे होगी। इस टेस्ट व इसके द्वारा चयन के निमित्त राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा समय–समय पर जारी आदेश आदि लागू होंगे।

12. पीटीईटी आवेदन–पत्र की डाउन लोडेड प्रिन्ट प्रतियों एवं साथ में दिये जाने वाले दस्तावजों को इस प्रकार रखें – **(1)** पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन–पत्र की एक सुपाठ्य फोटो प्रति, **(2)** अंकतालिकाएं एवं अन्य कोई शैक्षिक प्रमाण–पत्र (10वीं, 12वीं, स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं अन्तिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर, यदि हों, को इसी क्रम में रखें), **(3)** जाति प्रमाण–पत्र, **(4)** दिव्यांगता/सैनिक या सैनिक आश्रित/विधवा/तलाकशुदा का प्रमाण–पत्र, **(5)** मूल निवास प्रमाण–पत्र **आदि**, (नोटः इस बिन्दु में क्रम सं **2** से **5** में दिये गये सभी दस्तावेजों या प्रमाण–पत्रों , जो आपसे सम्बन्धित हो, की सत्यापित छाया प्रतिलिपियां उपरोक्त क्रमानुसार व्यवस्थित कर अपने पास सुरक्षित, संभाल कर रखें जिन्हें कॉउन्सलिंग उपरान्त आवन्टित महाविद्यालय में प्रवेश के समय आवश्यक रूप से जमा करवाना है। उक्त के अभाव में आपको आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाना सम्भव नहीं होगा।

13. **न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ बीकानेर होगा।** राजस्थान के बी.एड. महाविद्यालयों में सत्र 2020–21 हेतु प्रवेश देने की जिम्मेदारी सिर्फ राजकीय डूँगर महाविद्यालय, बीकानेर की है अतः प्रवेश से संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्यों के विरूद्ध न्यायालयों में दायर वाद इस राजकीय डूँगर महाविद्यालय को स्वीकार्य नहीं होगे। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा।

' महत्वपूर्ण चेतावनी '

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा(अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार पी.टी.ई.टी. परीक्षा 2020 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर 2000/— रूपये तक जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों सजाऐं हो सकती हैं।

शिक्षा (ग्रुप—4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने राजस्थान के विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी.एड.एवं 4 वर्षीय बी.ए.बी.एड़./बी.एससी. बी. एड. पाठ्यक्रम के सत्र 2020—21 में प्रवेश हेतु प्रवेश पूर्व परीक्षा प्री टीचर एज्यूकेशन टेस्ट, 2020 का आयोजन करने के लिए राजकीय डूँगर महाविद्यालय, बीकानेर को अधिकृत किया है।

परीक्षा केन्द्र में मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रोनिक उपक्रम का साथ में लाना पूर्णतया वर्जित है। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में काला बालपेन लाना न भूलें।